-प्रेस नोट-

दिनांक 07.03.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बडगाँव पुलिस द्वारा अवैध शराब बनाते हुए 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से शराब कसीदगी के उपकरण व 20 लीटर कच्ची शराब बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध शराब के निर्माण/बिक्री/तस्करी के अपराधों मे संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी बडगाँव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 07.03.2025 को थाना बडगांव पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर 03 अभियुक्तगण **1-विनोद पुत्र सेवाराम 2- बालेश पुत्र हुकमचन्द 3- रामपाल पुत्र सेवाराम निवासीगण ग्राम उमरी मजबता थाना बडगांव जनपद सहारनपुर** को ग्राम उमरी के जंगल से शराब की भट्टी (शराब कसीदगी के उपकरणों) एवं 20 लीटर कच्ची शराब खाम के साथ गिरफ्तार किया गया तथा मौके से प्राप्त करीब 100 लीटर लहन को नष्ट कराया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना बडगांव पर मु0अ0सं0-41/2025 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को विधिक कार्यवाही हेतु मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

1. विनोद पुत्र सेवाराम निवासी ग्राम उमरी मजबता थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
2. बालेश पुत्र हुकमचन्द निवासी ग्राम उमरी मजबता थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
3. रामपाल पुत्र सेवाराम निवासी ग्राम उमरी मजबता थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण

- 20 लीटर कच्ची शराब
- शराब कसीदगी के उपकरण (01 लोहे का ड्रम मय पाईप, 01 तसला, 01 लोहे की प्लेट, 01 प्लास्टिक कीप, 02 जरीकैन, 01 बोतल, 01 प्लास्टिक का डिब्बा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम-

1. उ0नि0 श्री योगेन्द्र चौधरी कार्यवाहक थाना प्रभारी थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री शिव कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
3. हे0कां0 231 रोहित चौधरी थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
4. कां0 612 दीपक कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
5. हो0गा0 2077 सतीश कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 07.03.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबंद पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास में 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 देशी तमंचा 315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 03.03.2025 को वादी श्री नदीम पुत्र सलीम निवासी ग्राम अम्बेहटा शेखा थाना देवबन्द जिला सहारनपुर ने थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत सादिक पुत्र नूर अली निवासी ग्राम अम्बेहटा शेखा थाना देवबन्द जिला सहारनपुर के द्वारा पूर्व मे हुई कहा सुनी को लेकर गाली गलौच करते हुए देशी कट्टे से वादी के ऊपर फायरिंग करना तथा जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध मे थाना देवबंद पर मु0अ0सं0-110/2025 धारा 109(1)/352/351(3) बीएनएस अभियोग पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी एवं बरामदगी हेतु दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू चौधरी थाना देवबंद के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 07.03.2025 को थाना देवबंद पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्त **सादिक पुत्र नूर अली निवासी ग्राम अम्बेहटा शेखा थाना देवबन्द जिला सहारनपुर** को अम्बेहटा शेखा जाने वाले रास्ते पर रेलवे पुल के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से घटना मे प्रयुक्त 01 देशी तमंचा 315 बोर बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि नदीम के साथ मेरी करीब दो माह पूर्व अम्बेहटा शेखा में कहा सुनी हो गयी थी तथा दिनांक 03.03.2025 को मेरी फिर से पुरानी बात को लेकर नदीम ने मुझे कुछ कह दिया था जिससे मुझे गुस्सा आ गया था तभी मैने अपनी जेब में रखा तमन्चा निकालकर नदीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सादिक पुत्र नूर अली निवासी ग्राम अम्बेहटा शेखा थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- 01 तमंचा 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 भूपेन्द्र सिह थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 931 परविन्दर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
3. का0 2205 गौरव थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 07.03.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 500 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध मादक/नशीले पदार्थों एवं इनके कारोबार में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू चौधरी के कुशल नेतृत्व में थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा चैकिग के दौरान 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त **आशु उर्फ आश मौहम्मद पुत्र तहसीन निवासी ग्राम फुलास अकबरपुर थाना देवबन्द जिला सहारनपुर हाल पता मौ0 फौलादपुरा सापंला रोड़ कस्बा व थाना देवबन्द जिला सहारनपुर** को बाला सुन्दरी गेट मेला ग्राउण्ड फव्वारा के पीछे से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 500 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0 117/2025 धारा 8/20 NDPS ACT पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायलय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मै कम पढ़ा लिखा हूँ तथा नशा करने का आदी हूँ यह चरस में बाहर से कम दामों पर लाकर यहाँ आने जाने वाले लोगों व ट्रक ड्राइवरों को बेच देता हूँ जिससे में खर्चा चल जाता है तथा बची हुई चरस मैं खुद पी लेता हूँ। आज भी मै यह चरस बेचने के लिए लाया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

आशु उर्फ आश मौहम्मद पुत्र तहसीन निवासी ग्राम फुलास अकबरपुर थाना देवबन्द जिला सहारनपुर हाल पता मौ0 फौलादपुरा सापंला रोड़ कस्बा व थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- 500 ग्राम अवैध चरस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री रविन्द्र कसाना थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।
2. हे.का.1124 राहुल कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।
3. का0 1980 योगेश कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।

दिनांकः 07.03.2025

-प्रेस नोट-

<u>वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश एडीजे-11 जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में 03 वर्ष का कारावास व 30 हजार रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः-</u>

अवगत कराना है कि दिनांक 01.04.2022 को वादी निरीक्षक श्री संजीव कुमार थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर की सूचना पर अभियुक्त आसिफ पुत्र इकबाल निवासी गन्देवड़ा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर के कब्जे से 250 ग्राम चरस बरामद होने की सूचना थाना फतेहपुर पर मु0अ0स0-11/19 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कराया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 858/20 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 07.03.2025 को **अभियुक्त आसिफ पुत्र इकबाल निवासी गन्देवड़ा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर को थाना फतेहपुर पर पंजीकृत मु0अ0स0-11/19 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का दोषी पाते हुए अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास व 30 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री अमित त्यागी
विवेचक उ0 नि0 श्री महक सिंह
पैरोकार का0-378 बिजेन्द्र सिंह थाना फतेहपुर

दिनांकः 07.03.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा 01 शातिर वाहन चोर/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जें व निशांदेही पर 01 तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 इलैक्ट्रिक कटर सहित मोटर साइकिल पार्टस व 01 मोटर साईकिल बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम एवं वांछित/शातिर चोर/नकबजन की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 07.03.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर चोर/अभियुक्त मौ0 आजम पुत्र सलम निवासी- ग्राम चुन्हैटी गाढा थाना राममपुर मनिहारन, सहारनपुर को ग्राम चुन्हैटी गाढा में निर्माणाधीन मकान से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जें 01 तमन्चा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर ,03 प्लास्टिक के कट्टो में मोटर साईकिल व स्कूटी के कटे हुए पार्टस, 01 मोटर साईकिल बजाज सीटी 100 बरामद हुयी । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना रामपुर मनिहारन पर मु0अ0सं0 -0065/2025 धारा- 317(5) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मै वाहनों को चोरी कर इलैक्ट्रानिक कटर से टुकडों में काटकर बेंच देता हूँ। इससे जो पैसे मिलतें है उससे मै अपनें शौक व खर्च पूरे करता हूँ, मै आज अपने पास रखें मोटर साइकिल व स्कूटी के पार्टस को प्लास्टिक के कट्टों में भरकर बेंचने की फिराक में था।

बरामदगी का विवरण -

- 03 कट्टो में 02 मोटर साईकिल व 01 स्कूटी के कटे हुए पार्टस
- 01 इलेक्ट्रानिक कटर
- 01 मोटर साइकिल (सीटी 100 जिसका रंग काला व नीला)
- 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी अभियुक्त का नाम व पता-

आजम पुत्र असलम निवासी ग्राम चुन्हैटी गाडा थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0-- 168/21 धारा-- 136 भारतीय विद्युत अधि0 थाना तीतरो सहारनपुर
2. मु0अ0सं0-- 076/22 धारा-- 4/25 आर्म्स एक्ट थाना ननौता सहारनपुर
3. मु0अ0सं0-- 401/24 धारा-- 3(2)(v) एससी एस्टी एक्ट व 64(1)/87 बीएनएस एक्ट थाना रामपुर मनि0 सहारनपुर
4. मु0अ0स0-- 437/25 धारा-- 305 बीएनएस थाना ननौता सहारनपुर
5. मु0अ0सं0--065/25 धारा-- 317(5) व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रामपुर मनि0 सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री जसपाल सिंह थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर
3- उ0नि0 श्री आशीष कुमार थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर
4- उ0नि0 श्री देवेन्द्र तोमर थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर
3. हे0का0 975 कपिल कुमार थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर